राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या –1674 / 2008 / हनुमानगढ

देवकीनन्द पुत्र चतुर्भुज जाति सैनी
निवासी–भादरा जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,भादरा
2.सुशील कुमार पुत्र बद्री प्रसाद बायला
निवासी–भादरा जिला हनुमानगढ — अप्रार्थीगण

2.निगरानी संख्या –1675 / 2008 / हनुमानगढ

कमला पत्नी पोखरमल जाति सैनी
निवासी–भादरा जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,भादरा
2.सुशील कुमार पुत्र बद्री प्रसाद बायला
निवासी–भादरा जिला हनुमानगढ — अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री अजीत लोढा
अभिभाषक — ...प्रार्थीगण की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक :29.08.2016

निर्णय

ये दोनों निगरानी प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998(जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) वृत हनुमानगढ (जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 623 व 624 / 2003 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.05.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों निगरानियों में निर्णय हेतु निहित बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जायें।

निगरानी संख्या 1674 / 2008 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने कस्बा भादरा के वार्ड नम्बर 14 में एक भूखण्ड जिसका पटटा मिसल नम्बर 7 व पट्टा नम्बर 340 में से 2890वर्गगज में से 1220 वर्गफुट का बेचान अप्रार्थी संख्या दो को कर दिया जिस पर देय मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क अदा करने पश्चात बेचान पत्र (रजिस्ट्री) को पंजीकृत करके लौटा दिया। तत्पश्चात उप पंजीयक ने प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 3,13,540 / – निर्धारित करते हुए उस पर देय मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क में से पूर्व अदा की गई मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क को कम करते हुए शेष कमी मुद्रांक कर रू. 7063 / – व पंजीयन शुल्क रू.854 / – जमा कराने हेतु नोटिस

जारी किया। नोटिस की पालना में शेष कमी मुद्रांक कर रू. 7063/– व पंजीयन शुल्क रू.854/– जमा नहीं कराने पर उप पंजीयक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया। कलक्टर (मुद्रांक) ने साईक्लोस्टाईल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रेफरेन्स में अंकित मालियत को सही मानते हुए मुद्रांक कर रू. 7063/– पंजीयन शुल्क रू. 854/– शास्ति रू. 33/–कुल रू.7950 प्रार्थी से वसूल करने का आदेश दिनांक 25.05.2004 पारित किया है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थी निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी संख्या 1675/2008 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने कस्बा भादरा के वार्ड नम्बर 14 में एक भूखण्ड जिसका पटटा मिसल नम्बर 7 व पट्टा नम्बर 340 में से 2890वर्गगज में से 2050 वर्गफुट का बेचान अप्रार्थी संख्या दो को कर दिया जिस पर देय मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क अदा करने पश्चात बेचान पत्र रजिस्ट्री को पंजीकृत करके लौटा दिया। तत्पश्चात उप पंजीयक ने प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 5,29,420/– निर्धारित करते हुए उस पर देय मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क में से पूर्व अदा की गई मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क को कम करते हुए शेष कमी मुद्रांक कर रू. 35,123/– व पंजीयन शुल्क रू. 3193/– जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में शेष कमी मुद्रांक कर रू. 35,123/– व पंजीयन शुल्क रू. 3193/– जमा नहीं कराने पर उप पंजीयक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया। कलक्टर (मुद्रांक) ने साईक्लोस्टाईल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रेफरेन्स में अंकित मालियत को सही मानते हुए मुद्रांक कर रू. 35,123/– पंजीयन शुल्क रू. 3193/– शास्ति रू.34/–कुल रू. 38,350/– प्रार्थी से वसूल करने का आदेश दिनांक 25.05. 2004 पारित किया है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थी निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण निगराकार के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय करने के पश्चात उप पंजीयक द्वारा मालियत निर्धारित की गई थी और उसके आधार पर ही मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विक्रय पत्र उप पंजीयक ने पंजीबद्ध करके उनको लौटाया था। उनका कथन है कि उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 3,13,540/– व 5,29,420/– निर्धारित कर, उस पर कमी मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क क्रमशः कुल रू. 7950/– व 38,350/– वसूल करने का रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष पेश किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने आक्षेपित प्रकरण पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, केवल मात्र साइक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आदेश पारित किया है जिसे न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। उक्त कथन के समर्थन में

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के Civil Appeal No. Nil of 2010@S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15-4-2010 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स, राजस्थान कर बोर्ड द्वारा चिराग ह्यूमैर डेवलपमेन्ट सोसाइटी बनाम राजस्थान राज्य रिवीजन नम्बर 1638/अलवर/2013 निर्णय दिनांक 13.11.2014 (2015(1)आर आर टी 154) , बैक आफ बडौदरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिवीजन नम्बर 670/2011/डूँगरपुर निर्णय दिनांक 18.11.2015(2015(1)आर आर टी 157) में दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उप पंजीयक के रेफरेन्स का समर्थन करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) वृत अजमेर के आदेश को बहाल रखने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान मनन किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 25.05.2004 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही साईक्लोस्टाइल पेपर पर यांत्रिक तरीके से बिना मस्तिष्क का उपयोग किये रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है,जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। कलक्टर (मुद्रांक) का दायित्व बनता था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर पूर्ण विवेचना करने के उपरान्त ही अपना निष्कर्ष देते, जिससे कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं । किन्तु हस्तगत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। कलक्टर (मुद्रांक) का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णयन करें। इसी प्रकार का मत प्रार्थी की ओर से उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के Civil Appeal No. Nil of 2010@S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15-4-2010 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स में पारित किया गया है,जिसका सारगर्भित अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :—

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं माननीय उच्च्तम न्यायालय के उक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में निगरानी स्वीकार करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.05.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपदित मत की पूर्ण पालना करते हुए, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पुनः Self Speaking आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य